(132)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह,

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1438–पीबीआर/2000 विरूद्ध आदेश दिनांक 4–5–2000 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर, प्रकरण कमांक 171/1993–94/अपील.

.....

शीलचन्द जैन पुत्र फतेहचन्द सिंघई (मृतक वारिसान :–)
निवासी मुंगावली जिला गुना म0प्र0
(1)अरविन्द कुमार पुत्र स्व.शीलचन्द जैन
(2)राकेश कुमार पुत्र स्व.शीलचन्द जैन
(3)मुकेश कुमार पुत्र स्व.शीलचन्द जैन
(4)श्रीमती निर्मला उर्फ गुडडी पुत्री स्व.शीलचन्द जैन पत्नी अशोककुमार
(5)उर्मिला पुत्री स्व.शीलचन्द जैन पत्नी प्रकाशचन्द
(6)श्रीमती गुज्जोबाई पुत्री स्व.शीलचन्द जैन

..... आवेदकगण

विरूद्ध

गया प्रसाद पुत्र तोरनसिंह (मृतक वारिसान :–)
(1)बालोबाई पत्नी स्व. गयाप्रसाद
(2)पहलवान पुत्र स्व. गयाप्रसाद
(3)शंकर पुत्र स्व. गयाप्रसाद
(4)परमानंद पुत्र स्व. गयाप्रसाद
(5)गुलाब पुत्र स्व. गयाप्रसाद
(6)राधाबाई पुत्री स्व. गयाप्रसाद
निवासीगण वार्ड क्र.8 कछियाना मोहल्ला
मुंगावली तहसील मुंगावली जिला अशोक नगर
2–आलमसिंह पुत्र तोरनसिंह
3–तुलसीराम पुत्र तोरनसिंह
निवासीगण मुंगावली जिला गुना म0प्र0
4–कुसुमबाई मृत उत्तराधिकारी मानसिंह कुशवाह
निवासी ग्राम पाल कटोरी परगना अशोकनगर जिला गुना
5–घसीटीबाई पुत्री तोरनसिंह
निवासी ग्राम कौधयाई परगना मुंगावली जिला गुना

..... अनावेदकगण

6–प्रकाश बाबू पुत्र कामता प्रसाद माथुर
निवासी वार्ड नं.6, मल्हारगढ रोड,
मुंगावली जिला गुना

.....

श्री एस0के0वाजपेयी, अभिभाषक–आवेदकगण
श्री विनोद श्रीवास्तव, अभिभाषक–अनावेदक क्र.1 लगायत 3

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 19-2-2016 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 04–05–2000 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक के पिता तोरनसिंह द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष संहिता की धारा 115, 116 के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर उसके कब्जे के आधार पर मुंगावली की कस्बा रेंज की भूमि सर्वे कमांक 933/2 रकवा 0.034 हेक्टेयर में से रकबा 0.025 हेक्टेयर पर नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 19/अ–6–अ/1987–88 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदक स्व.शीलचन्द द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई कि उक्त भूमि उसके द्वारा अनावेदक कमांक 6 प्रकाश बाबू पुत्र कामता प्रसाद माथुर से रजिस्टर्ड विकय पत्र के माध्यम से कय की गई है । तहसीलदार द्वारा आवेदक स्व.शीलचन्द जैन की आपत्ति निरस्त करते हुये दिनांक 06–07–1993 को आदेश पारित कर अनावेदक का नामान्तरण स्वीकार किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06–07–1993 से व्यथित होकर आवेदक शीलचन्द जैन द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई, जो प्रकरण कमांक 66/अपील/1992–93 पर दर्ज की जाकर पारित आदेश दिनांक 28–02–1994 से तहसील न्यायालय का आदेश दिनांक 06–07–1993 अपास्त किया जाकर अपील स्वीकार की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश से परिवेदित होकर अनावेदक द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण कमांक 171/1993–94/अपील में दर्ज कर पारित आदेश दिनांक 04–05–2000 से अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 28–2–1994 निरस्त किया जाकर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई व तहसील न्यायालय को निर्देशित किया कि व्यवहार न्यायालय से प्रकरण का निराकरण होने पर

नियमानुसार कार्यवाही की जाये। अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 04–05–2000 से दुखित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश प्रकरण के तथ्यों एवं विधि के सिद्धांतों के विपरीत होकर निरस्त किये जाने योग्य है । तर्क में यह भी कहा गया कि आवेदक द्वारा पंजीयत विक्रय पत्र के आधार पर अनावेदक कमांक 6 प्रकाश बाबू से प्रश्नाधीन भूमि क्रय की गई है । अनावेदक कमांक 6 प्रकाश बाबू के हित में प्रथम नामान्तरण व बटांकन को चुनौती नहीं दी गई है । तहसीलदार को आधिपत्य संबंधी नवीन प्रविष्टि करने का विचाराधिकारी नहीं है । तर्क में यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी के विस्तृत आदेश के बावजूद प्रकरण पुनः तहसील न्यायलय के समक्ष निराकरण हेतु प्रेषित करने में अपर आयुक्त द्वारा वैधानिक भूल की गई है व क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर आदेश पारित किया गया है, क्योंकि पंजीकृत विक्रय पत्र के विपरीत अभिकथन सुनवायी योग्य नहीं है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि नामान्तरण तथा कब्जा इंद्राज के प्रकरणों में कार्यवाही करने में राजस्व न्यायालय को एकमात्र क्षेत्राधिकार है तथा राजस्व न्यायालय पंजीकृत दस्तावेजों के आधार पर नामान्तरण करने के लिये बाध्य है तथा व्यवहार न्यायालय के निर्णय के इन्तजार करने के लिये बाध्य नहीं है इसलिये अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित करने में अवैधानिक आदेश दिया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी कहा गया कि आवेदक द्वारा प्रकाश बाबू से रजिस्ट्री पर से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से भूमि क्रय की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि अनावेदक द्वारा व्यवहार न्यायालय में जो व्यवहार वाद प्रस्तुत किया गया था वह वर्श 2005 में निरस्त हो चुका है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश अवैधानिक एवं अनियमित होने से निरस्त किया जाकर व अनुविभागीय अधिकारी का आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखते हुये निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक क्र. 1 लगायत 3 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक द्वारा प्रकाशबाबू पुत्र कामता प्रसाद को भूमि सर्वे कमांक 933/2 रकवा 0.034 हेक्टेयर में से रकवा 0.009 विकय किया था परन्तु अनावेदक को धोखे में रखकर प्रकाश बाबू द्वारा अधिक भूमि विकय पत्र में लिखवा ली गई है, क्योंकि अनावेदक कम पढे लिखे होने से धोखे में आ गये आवेदक द्वारा धोखे में रखकर भूमि अपने नाम करा ली गई है, क्योंकि आवेदक स्वयं टायपिस्ट था । अंत में तर्क प्रस्तुत किया कि तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिवत् एवं न्यायिक होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ प्रकरण में अनावेदक कमांक 4 व 5 सूचना उपरांत रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

6/ उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तोरनसिंह द्वारा तहसील मुंगावली के समक्ष संहिता की धारा 115 एवं 116 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता के अन्तर्गत कब्जा दर्ज कराये जाने बावत् आवेदन दिया था, जो तहसील न्यायालय द्वारा स्वीकार कर कब्जा अंकित किये जाने का आदेश पारित किया है। जबकि धारा 116 के अन्तर्गत केवल अशुद्ध प्रविष्टी केवल एक वर्ष के अंदर दुरूस्त करायी जा सकती है। कोई नई प्रविष्टी नहीं की जा सकती तथा धारा 115 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर कब्जा दर्ज नहीं किया जा सकता। इस प्रकार आवेदन पत्र धारा 115 एवं 116 के अन्तर्गत प्रचलन योग्य ही नहीं था। इस संबंध में 1984 आर.एन. 11 के न्यायदृष्टांत विचार योग्य है। उक्त न्यायदृष्टांत में उल्लेख किया गया है कि धारा 115 परिसीमा केवल स्वंमेव पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। प्रविष्टी की दुरूस्ती के लिए किसी पक्षकार के आवेदन पर इस धारा के अधीन कार्यवाही नहीं की जा सकती है। तोरनसिंह दिनांक 13.06.1988 को आवेदन–पत्र प्रस्तुत कर सर्वे नं. 933/2 में से रकवा 0.025 हैक्टेयर पर जमीदारी समय से कब्जा होना बताया है, संम्बत 2045 सन् 1988–98 में कब्जा में कब्जा दर्ज करने की प्रार्थना की है। आवेदक के संलग्न नकल खसरा पंचशाला संम्बत 2000 लगायत 2044 के

अवलोकन से स्पष्ट है कि सर्वे क्रमांक प्रकाश बाबू के भूमिस्वामी स्वत्व का है, इसमें तोरनसिंह का नाम किसी भी हैसियत से दर्ज नहीं है। इसके मिन रकवा 0.009 हैक्टेयर आबादी है, शेष 0.032 हैक्टेयर भूमि पर फसल दर्ज है, इस प्रकार तोरनसिंह को कब्जा दर्ज करने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। आवेदकगण द्वारा पंजीकृत विक्रयपत्र के आधार पर अनावेदक क्रमांक 6 प्रकाशबाबू से प्रश्नाधीन भूमि क्रय की है। प्रकाशबाबू के हित में प्रथम नामान्तरण व बंटाकन को चुनौती नहीं दी गयी है, तहसीलदार को आधिपत्य संबंधी नवीन प्रविष्टी करने का विचाराधिकार नहीं है। अनुविभागीय अधिकारी ने विस्तृत आदेश पारित किया है, किन्तु अपर आयुक्त न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर आदेश पारित किया है क्योंकि नामान्तरण कब्जा इन्द्राज के प्रकरणों में कार्यवाही करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त है। राजस्व न्यायालय पंजीकृत विक्रयपत्र के आधार पर नामान्तरण करने के लिए बाध्य है तथा वह व्यवहार न्यायालय के निर्णय के इंतजार करने के लिए बाध्य नहीं है। इस प्रकार अपर आयुक्त न्यायालय का यह निष्कर्ष कि व्यवहार न्यायालय से प्रकरण के निराकरण होने तक नियमानुसार कार्यवाही की जाये। यह निष्कर्ष वैधानिक दृष्टि से उचित नहीं है क्योंकि प्रस्तुत व्यवहार वाद वर्ष 2005 में निरस्त हो चुका है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार कर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.05.2000 निरस्त किया जाता है एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.02.1994 स्थिर रखे जाने के आदेश दिये जाते हैं।

8/ यह आदेश प्रकरण कमांक निगरानी 1378–पीबीआर/2000 पर भी लागू होगा, अतः इस आदेश की एक प्रति उक्त प्रकरण में संलग्न की जाये ।

(एम.के. सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर